अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 19/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 895(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सब्ज़ियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित राखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा- :

"97क	2009 89 90	टेंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,- (ग) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या (घ) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8807” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयू खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2021 सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 19/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 895(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, -

(i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;

(ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;

(iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted;

(iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]";

(v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* Notification No. 9/2021-Central Tax (Rate) dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 694(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 19/2021-एकीकृत कर **(दर)**

सा.का.नि. 896(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017का (13 की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-